भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †1738

दिनांक 02.07.2019/11 आषाढ़,1941 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर अपराध

†1738. श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल के वर्षों में देश में साइबर अपराधों में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) साइबर अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई नई नीति लाने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) और (ख): भारत के संविधान के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने विधि प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। विधि प्रवर्तन एजेंसियां साइबर अपराध के अपराधियों के विरुद्ध कानून के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई करती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, वर्ष 2014-2016 के दौरान दर्ज किए गए साइबर अपराध के पंजीकृत मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग) से (ड.): केंद्र सरकार ने ऐसे अपराधों को रोकने और जांच में तेज़ी लाने के लिए ऐसे अपराधों

के बारे में जागरूकता फैलाने, चेतावनी/परामर्शी पत्र जारी करने, विधि प्रवर्तन अधिकारियों/ न्यायाधीशों/अभियोजकों के क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण, साइबर फॉरेंसिक सुविधाओं में सुधार आदि के लिए कदम उठाए हैं।

सरकार ने शिकायतकर्ताओं द्वारा बाल पोर्नोग्राफी/बाल यौन उत्पीड़न सम्बन्धी सामग्री, बलात्कार/सामूहिक बलात्कार के चित्र या कामुकता दर्शाने वाली सामग्री से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए ऑनलाइन साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in शुरू किया है।

मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई 4 सी) की स्थापना के लिए एक योजना मंजूर की है। आई 4 सी स्कीम का मुख्य उद्देश्य देश में साइबर अपराध से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक प्रभावी तंत्र के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित करना है।

******

अनुलग्नक-I

लो.स.अता.प्र.सं. 1738 दिनांक 2 जुलाई, 2019

साइबर अपराध संबंधी आंकड़े

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014	2015	2016
1	आंध्र प्रदेश	282	536	616
2	अरुणाचल प्रदेश	18	6	4
3	असम	379	483	696
4	बिहार	114	242	309
5	छत्तीसगढ़	123	103	90
6	गोवा	62	17	31
7	गुजरात	227	242	362
8	हरियाणा	151	224	401
9	हिमाचल प्रदेश	38	50	31
10	जम्मू और कश्मीर	37	34	28
11	झारखंड	93	180	259
12	कर्नाटक	1020	1447	1101
13	केरल	450	290	283
14	मध्य प्रदेश	289	231	258
15	महाराष्ट्र	1879	2195	2380
16	मणिपुर	13	6	11
17	मेघालय	60	56	39
18	मिजोरम	22	8	1
19	नागालैंड	0	0	2
20	ओडिशा	124	386	317
21	पंजाब	226	149	102
22	राजस्थान	697	949	941
23	सिक्किम	4	1	1
24	तमिलनाडु	172	142	144
25	तेलंगाना	703	687	593
26	त्रिपुरा	5	13	8
27	उत्तर प्रदेश	1737	2208	2639
28	उत्तराखंड	42	48	62
29	पश्चिम बंगाल	355	398	478
	कुल (राज्य)	9322	11331	12187
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	13	6	3
31	चंडीगढ़	55	77	26
32	दादरा एवं नगर हवेली	3	0	1
33	दमन एवं दीव	1	1	0
34	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	226	177	98
35	लक्षद्वीप	1	0	0
36	पुदुचेरी	1	0	2
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	300	261	130
	कुल (अखिल भारत)	9622	11592	12317